न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 57/2017

अनवान

1 किशनलाल पिता रामचन्द्र गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2 सेवाराम पिता उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.......वादी

बनाम

1 पन्ना पिता सुरजमल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी .... वादीगण अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 02................. पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.09.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 12.09.2017 को एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम उंकारपुरा पटवार हल्का बामणिया में वादीगण के नाम पर खतौनी संख्या 13 के आराजी संख्या 165 रकबा 10–05 बीघा भूमि सयुंक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर विपक्षी क्रम 01 ने जबरन अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। जबकि उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार की है, पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 पन्ना पिता सुरजमल गुर्जर द्वारा किया हुआ है। अतः वादीगण को उसकी क्षर्तिपूर्ति प्रदान करावें तथा प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजीयात से बेदखल करा वादी को कब्जा पुनः सिपुर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादर फरवायी जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन/नोटीस विपक्षीगणो को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री मथरा लाल तेली द्वारा सुनवाई दिनांक 19.09.2017 को वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुतिकरण हेतु न्यायालय से समय चाहा। इसके पश्चात सुनवाई दिनांक 05.072018 को विपक्षी स्वंय एंव उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को जवाबदावा प्रस्तुतिकरण हेतु विधिवत तीन मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी वाद में पैरवी अथवा अपना पक्ष रखने हेतु कोई हाजिर नही आया, लिहाजा विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 के एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, तथा पत्रावली को एकतरफा साक्ष्यवादी चरण हेतु नियत किया गया। नियत सुनवाई दिनांक 07.08.2018 पर उपस्थित वादीगण की और से वादीगण की शहादत्त में शपथपत्र प्रस्तुत होकर रिकार्ड पर लिये गये, जिन पर लाल स्याही से पी. डब्ल्यू–01, पी.डब्ल्यू–02 का अंकन किया गया, तथा वादपत्र से सलग्न दस्तावेजात व प्रस्तुत आधार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् पर क्रमशः प्रदर्श–01 व राजस्व नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

ट्रेस पर प्रदर्श–02 का लाल स्याही से अंकन किया गया। सुनवाई दिनांक 11.09.2018 पर वादीगण अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वादपत्र में अपनी और से एकपक्षीय बहस प्रस्तुत की, बहस के दौरान उनके द्वारा इस बाबत् पर अपनी सहमति व्यक्त की कि विवादित आराजीयात की निष्पक्ष राजस्व अधिकारी से नपती कराई जाने पर वादीगण की खातेदारी भूमि पर यदि प्रतिवादी का कोई अनाधिकृत कब्जा होना पाया जाता है, तो उस दशा में वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. वादी अधिवक्ता को सुना गया। चूंकि प्रतिवादी का वादपत्र में जवाबदावा प्रस्तुतिकरण इस न्यायालय द्वारा बन्द किया जा चुका है। वादी द्वारा निष्पक्ष अधिकारी/ टीम से आराजीयात की नपती कराई जाने की स्थिति में वादी के हक एंव खाते की भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना पाया गया तो उस भू भाग से अपना अतिक्रमण हटा कर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार वादी वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 स्वीकार कर इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम उंकारपुरा पटवार हल्का बामणिया में वादीगण के नाम पर खतौनी संख्या 13 के आराजी संख्या 165 रकबा 10–05 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादीगण को सिपुर्द किया जावें तथा वादी के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादी बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 18.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड
अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

–::मूल वाद में अन्तिम डिक्री::–

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रेगर आर ए एस

प्रकरण संख्या 57 / 2017 राजस्व वाद

प्रकरण संख्या 57 / 2017

अनवान

1 किशनलाल पिता रामचन्द्र गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

2 सेवाराम पिता उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.......वादी

बनाम

1 पन्ना पिता सुरजमल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लाम्बा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी .... वादीगण अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 02................. पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.09.2018

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम उंकारपुरा पटवार हल्का बामणिया में वादीगण के नाम पर खतौनी संख्या 13 के आराजी संख्या 165 रकबा 10–05 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादी को सिपुर्द किया जावें तथा वादीगण के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादी बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या–1 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा

यह डिक्री आज दिनांक 18.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)